न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 45/2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री गगन टांक पुत्र श्री आनन्द प्रकाश टांक,
   मैसर्स गगन एग्रो फूड प्रोडक्टस, 16 सूरजकुण्ड मन्दिर,
   मदार गेट, अजमेर।
   निवासी ए–19, ब्रज विहार कॉलोनी, गुंलाब बाड़ी, अजमेर
2. मैसर्स गगन एग्रो फूड प्रोडक्टस, 16 सूरजकुण्ड मन्दिर,
   मदार गेट, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से श्री गगन टांक

<u>–: आदेश :–</u>

दिनांक–11.09.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.03.2025 को 06:00 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आनन्द कुमार मैसर्स गगन एग्रो फूड प्रोडक्टस, 16 सूरजकुण्ड मन्दिर, मदार गेट, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री गगन टांक मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय फ्रिजर में लगभग 4–5 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पनीर कीं गुणवत्ताका शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम पनीर 260/- रूपयें श्री गगन टांकको नगद देकर गवाह श्री दीपक कुमार सिंन्धी के समक्ष क्रय क खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैया करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री गगन टांक को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की खरीदशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल में भरकर प्रत्येक बोतल में 16–16 बूंन्द फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमून को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–4794 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषकअजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/3030 दिनांक 30.04.2025 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/287/एक्ट/2024/307 दिंनाक 25.03.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय अपील नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक01.08.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री गगन टांक व अन्यको विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 003.09.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर सेश्री गगन टांक ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा इसी से अपने परिवार का जीवनयापन करता है। तत्सयम नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण पनीर का सेम्पल अवमानक पाया गया। प्रार्थी पर कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करावें

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्यसुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री गगन टांक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री गगन टांक को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री गगन टांक पर रु.40,000/– (अक्षरे रूपये चालीस हजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 11.09.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री गगन टांक पुत्र श्री आनन्द प्रकाश टांक, मैसर्स गगन एग्रो फूड प्रोडक्टस, 16 सूरजकुण्ड मन्दिर,मदार गेट, अजमेर। (निवासी ए–19, ब्रज विहार कॉलोनी, गुंलाब बाड़ी, अजमेर)
5. मैसर्स गगन एग्रो फूड प्रोडक्टस, 16 सूरजकुण्ड मन्दिर, मदार गेट, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर